



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28468-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 29262 वर्ष 2025

प्रेमपाल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : शुभम

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान एजीए को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

"(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को थाना जैत, जिला मथुरा में याचिकाकर्ता द्वारा बीएनएस की धारा 109, 352, 351(3) के तहत दर्ज एफआईआर दिनांक 14.08.2025, मुकदमा अपराध संख्या 0405 वर्ष 2025 के संबंध में निष्पक्ष और तटस्थ विवेचना करने का निर्देश दे।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में प्रथम सूचनादाता है और यद्यपि इस मामले में एफ.आई.आर. 14.08.2025 को दर्ज की गई है, फिर भी पुलिस मामले की निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से विवेचना नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता अपनी शिकायत को रेखांकित करते हुए और निष्पक्ष एवं तटस्थ विवेचना की मांग करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा के समक्ष एक आवेदन दे सकता है और यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा आवेदन दिया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 2, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा वर्तमान मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।

5. उपरोक्त आदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"